न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : धारा सिंह मीना, RAS

अपील संख्या 110 / 2018

1 बोदी देवी पत्नी रामेश्वर पुत्र पालजी जाति जाट निवासी तारपुरा तहसील व जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 सुपारी पत्नी हरलाल पुत्र हरदेवा जाति जाट निवासी तारपुरा तहसील व जिला सीकर।
2 उप पंजियक सीकर तहसील व जिला सीकर।
3 हल्का पटवार तारपुरा तहसील व जिला सीकर।
4 तहसीलदार सीकर तहसील व जिला सीकर प्रतिनिधि भूमिधारक राजस्थान सरकार।

रेस्पोडेंट

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्व प्राथमिक डिक्री एवं निर्णय दिनांक 28.06.2018 न्यायालय सहायक कलेक्टर द्वितीय सीकर पीठासीन अधिकारी लीलावती मीना आर.ए.एस. दावा संख्या 126 / 2015 बउनवानी बोदी बनाम सुपारी दावा बाबत बंटवारा स्थायी निषेधाज्ञा।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री प्रभातीलाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री नोपाराम जांगिड़, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः—31-1-23

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर द्वितीय सीकर द्वारा मुकदमा नम्बर 126/2015 में पारित निर्णय दिनांक 28.06.2018 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंट संख्या 1 दोनो सगी बहने है। जिनके संयुक्त कब्जा काश्त खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 186 रकबा 1.34 हैक्टेयर वाके ग्राम तारपुरा तहसील व जिला सीकर सीकर—झुंझुनू राज्य राजमार्ग स्टेट हाईवे के पूर्व दिशा में सटकर अवस्थित है। जिसके सम्बंध में अपीलांट ने विचारण न्यायालय के समक्ष बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया। उक्त वाद में रेस्पोडेंट संख्या 1 ने जवाब दावा एवं काउण्टर दावा प्रस्तुत किया। काउन्टर दावा का अपीलांट ने जवाब प्रस्तुत किया। तत्पश्चात विचारण न्यायालय द्वारा विवाद्यक कायम किये गये एवं उसके पश्चात पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने के कारण पत्रावली वास्ते शहादत वादी तारीख पेशी नियत होती रही परन्तु अपीलांट की बिना जानकारी के न्याय आपके द्वार राजस्व अभियान 2018 के प्रभारी अधिकारी ने पत्रावली को दिनांक 28.06.2018 को कैम्प तारपुरा में रखकर एक साईक्लोस्टाईल पर फोरमा पर आदेशिका में ही प्राथमिक डिक्री जारी कर बईन्तजार बंटवारा प्रस्ताव तारीख पेशी नियत कर दी। इससे व्यथित होकर अपील द्वारा प्रस्तुत अपील धारा 5 के आवेदन के साथ अपील प्रस्तुत की गई है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंट संख्या 1 दोनो सगी बहने है। जिनके संयुक्त कब्जा काश्त खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 186 रकबा 1.34 हैक्टेयर वाके ग्राम तारपुरा तहसील व जिला सीकर सीकर–झुंझुनू राज्य राजमार्ग स्टेट हाईवे के पूर्व दिशा में सटकर अवस्थित है। जिसके सम्बंध में अपीलांट ने विचारण न्यायालय के समक्ष बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया। उक्त वाद में रेस्पोडेंट संख्या 1 ने जवाब दावा एवं काउण्टर दावा प्रस्तुत किया। काउन्टर दावा का अपीलांट ने जवाब प्रस्तुत किया। तत्पश्चात विचारण न्यायालय द्वारा विवाद्यक कायम किये गये एवं उसके पश्चात पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने के कारण पत्रावली वास्ते शहादत वादी तारीख पेशी नियत होती रही परन्तु अपीलांट की बिना जानकारी के न्याय आपके द्वार राजस्व अभियान 2018 के प्रभारी अधिकारी ने पत्रावली को दिनांक 28.06.2018 को कैम्प तारपुरा में रखकर एक साईक्लोस्टाईल पर फोरमा पर आदेशिका में ही प्राथमिक डिक्री जारी कर बईन्तजार बंटवारा प्रस्ताव तारीख पेशी नियत कर दी। विचारण न्यायालय ने विधिक प्रकिया की पालना किये बिना अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। जानकारी से अन्दर मियाद अपील प्रस्तुत कर दी है। अपील स्वीकार कर प्रकरण रिमाण्ड किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि वादी अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष बाई मिट्स एण्ड बाउन्ड्स विभाजन का वाद प्रस्तुत किया था। विचारण न्यायालय ने विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नही है। अपील मियाद बाहर है अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय के समक्ष पत्रावली दिनांक 26.08.2016 से दिनांक 01.06.2018 तक

भू-प्रबन्ध अधिकारी
पदेन राजस्व अपील अ
सीकर

साक्ष्य वादी में नियत चल रही थी। दिनांक 01.06.2018 को आगामी तारीख पेशी 13.07.2018 नियत की गई है। विचारण न्यायालय द्वारा नियत तिथि 13.07.2018 से पूर्व पक्षकारों को सूचित किये बिना, पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिये बिना पत्रावली दिनांक 28.06.2018 को राजस्व लोक अदालत कैम्प तारपुरा में रखकर विचाराधीन प्राथमिक डिकी जारी की है। स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा विधिक प्रकिया की पालना किये बिना अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना विचाराधीन निर्णय व डिकी पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिकी को विधि सम्मत नही माना जा सकता है। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुये अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कन्डोन किया जाता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिकी को अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष के साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुन विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.02.2023 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 31-1-23 को सरे इजलास सुनाया गया।

(धारा भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
भू-प्रबन्ध पदेन राजस्व अपील अधिकारी
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर